न्यायालयः–विशिष्ठ न्यायाधीश अ.जा./ज.जा.(अ.नि.प्र.) बारां, जिला–बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– **लोकेश कुमार शर्मा,** (RJS–DJ CADRE)

निर्णय दिनांकः– 20.04.2026

सेशन प्रकरण संख्याः– 219/2021

सी.आई.एस. नंबरः– 221/2021

सी.एन.आर. नंबरः– RJBR050008162021

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः– 716/2020, **पुलिस थानाः–** छबड़ा, जिला–बारां

अपराध अंतर्गत धाराः– 341, 323, 504, 308, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति(अ.नि.) अधिनियम 1989

PART–I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विशिष्ठ लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	1.सन्नी सहरिया पुत्र हरिओम, उम्र–25 साल, निवासी–इन्द्रा कॉलोनी छबड़ा, थाना–छबड़ा, जिला–बारां (राज.) 2. विक्रम मेहतर पुत्र सत्यनारायण, उम्र–25 साल, निवासी–जोशी कॉलोनी छबड़ा, थाना–छबड़ा, जिला–बारां (राज.) 3. दिनेश पुत्र हेमराज, उम्र–24 साल, निवासी–खेड़ली गुगौर, थाना–छबड़ा हाल एजाज नगर छबड़ा, थाना–छबड़ा, जिला–बारां (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता– श्री अभिनव गौतम

B

अपराध की दिनांक	27.12.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	28.12.2020
आरोप पत्र की दिनांक	03.12.2021
आरोपों की विरचना की दिनांक	12.07.2023
साक्ष्य प्रारंभ करने की दिनांक	12.07.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की दिनांक	20.04.2026
निर्णय की दिनांक	20.04.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की दिनांक	निल

C– अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमनात पर रिहा होने की तिथि	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि
01	सन्नी	28.07.2021	30.07.2021	341, 323, 504, 308, 34 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	निल	दिनांक 28.07.2021 से 30.07.2021 तक
02	विक्रम	28.07.2021	30.07.2021	341, 323, 504, 308, 34 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	निल	दिनांक 28.07.2021 से 30.07.2021 तक
03	**दिनेश**	**28.07.2021**	**30.07.2021**	**341, 323, 504, 308, 34 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(Va) Sc/St Act**	**दोषमुक्त**	**निल**	**दिनांक 28.07.2021 से 30.07.2021 तक**

PART–II

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्ष्य की सूचीः–

A. अभियोजन साक्ष्यः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
P.W. 01	कपील कुमार रजक	आहत/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P.W.02	मयंक	परिवादी/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P.W.03	निखिल	पंच साक्षी
P.W.04	संदीप	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P.W.05	नरेन्द्र कुमार मेघवाल	चिकित्सकीय साक्षी
P. W. 06	ओमेन्द्र सिंह	अनुसंधान अधिकारी/पुलिस साक्षी
P. W. 07	डॉ. मुकुट बिहारी मालव	चिकित्सकीय साक्षी

B. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि कोई हो तो–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

C. न्यायालय साक्ष्य, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

A. अभियोजन प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी.01/PW.01	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. कपिल
02	प्रदर्श पी.02/PW.01	जाति प्रमाण पत्र कपिल कुमार
03	प्रदर्श पी.03/PW.02	तहरीरी रिपोर्ट
04	प्रदर्श पी.04/PW.02	चाक एफ.आई.आर.
05	प्रदर्श पी.05/PW.02	नक्शा मौका
06	प्रदर्श पी.06/PW.02	फर्द जब्ती पेन्ट
07	प्रदर्श पी.07/PW.02	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. मयंक
08	प्रदर्श पी.08/PW.04	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. संदीप
09	प्रदर्श पी.09/PW.05	एक्सरे कवर नोट
10	प्रदर्श पी.10 व 11/PW.05	एक्सरे प्लेट
11	प्रदर्श पी. 12 से 14/PW.06	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण
12	प्रदर्श पी.15/PW.06	फर्द सूचना धारा 27 भा. साक्ष्य अधि.
13	प्रदर्श पी.16/PW.06	फर्द जब्ती स्टील का कड़ा
14	प्रदर्श पी.17/PW.06	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
15	प्रदर्श पी.18/PW.07	चोट प्रतिवेदन आहत कपिल

B. प्रतिरक्षा प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

C. न्यायालय प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

D. वस्तु प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

PART–III

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 27.12.2020 को परिवादी मयंक द्वारा केम्प सी.एच.सी. छबड़ा में श्री रणजीत सिंह उप निरीक्षक थाना छबड़ा को इस आशय की पेश की कि वह, कपिल व सन्दीप तीनों दिनांक 27.12.2020 को पेट्रोल भरवाने गये थे कि वहां पर सन्नी व उसके 3–4 आदमी और साथ थे। सन्नी ने कपिल रजक को धोबड़े बोल कर कहा कि यहां क्या करने आया। फिर कपिल ने कहा कि तमीज से बोल इतने में सन्नी ने कपिल की गिरेबान पकड़ कर पन्च से सिर व आंख में मारी। फिर कपिल जाने लगा तो वापस सन्नी ने पकड़ कर फिर पंच से हाथ आदि पर वार किया। उसके साथी, जिनके नाम नहीं जानता, जिन्होंने भी मारपीट की। कपिल के सिर में ज्यादा चोट आ जाने से वो बेहोश हो गया, जिससे उसने एवं संदीप दोनों ने अस्पताल छबड़ा लाकर भर्ती कराया। सन्नी व साथी ने कपिल को मां–बहिन की गालियां व धोबड़ा कहा। सन्नी और उसके साथी ने बिना कारण ही मारपीट की,...........इत्यादि।

2– उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना छबड़ा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **716/2020** अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 308, 34 भारतीय दण्ड संहिता** में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3– बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 03.12.2021 को अभियुक्त दिनेश के विरूद्ध धारा **341, 323, 504, 308, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** तथा अभियुक्तगण **सन्नी सहरिया व विक्रम** के विरुद्ध धारा **341, 323, 504, 308, 34 भारतीय दण्ड संहिता** का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया

गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं के अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया एवं प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4– बहस चार्ज सुनी जाकर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त दिनेश के विरूद्ध अंतर्गत धारा **341, 323, 504, 308 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** तथा अभियुक्तगण **सन्नी व विक्रम** के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 504, 308 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप विरचित करने के आधार होने के कारण पृथक से उक्त धाराओं में आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5– यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि दौराने विचारण प्रकरण में आहत कपिल व अभियुक्तगण के मध्य स्वैच्छया राजीनामा हो जाना जाहिर कर न्यायालय की अनुमति के पश्चात् धारा 341, 323, 504, सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा प्रस्तुत किया। जिस पर उक्तानुसार राजीनामा नियमानुसार बाद जांच तस्दीक किया जाकर दिनांक 17.05.2024 को मुल्जिमान को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 504 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 में बरूए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया है। तत्पश्चात् अभियुक्त **दिनेश** के विरूद्ध प्रकरण में केवल आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **308/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** तथा अभियुक्तगण **सन्नी व विक्रम** के विरुद्ध धारा **308/34 भारतीय दण्ड संहिता** का ही विचारण शेष रहा, जिसके संबंध में यह निर्णय पारित किया जा रहा है। अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया और झूठा फंसाना कथन किया और साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना व्यक्त किया, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गयी।

6– बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7– प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह रहे हैं कि:–

(i) आया कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत कपिल के साथ मारपीट कर मार्मिक अंग सिर पर इस आशय, ज्ञान व परिस्थितियों में चोट कारित की कि यदि उक्त चोट से आहत की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या की कोटि में नहीं आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते?

(ii) आया कि अभियुक्त दिनेश द्वारा आहत कपिल को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जानते हुए लोक दृष्टि में

आने वाले स्थान पर गाली–गलौंच कर अपमानित या अभित्रस्त किया एवं जातिसूचक शब्दों से संबोधित किया?

(iii) आया कि अभियुक्त दिनेश ने आहत कपिल को अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना जानते हुए अधिनियम की अनुसूची में शामिल धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कारित किया ?

(iv) यदि हां तो उसका उचित दंडादेश क्या होगा?

8– उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में दौराने बहस विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का कथन रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

9– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का बहस में तर्क रहा है कि प्रकरण में स्वयं परिवादी पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट नहीं करना बताया है और मोटरसाईकिल से गिरने से चोटें आने का कथन किया है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने भी अभियुक्तगण द्वारा आहत के साथ मारपीट करने का कोई कथन नहीं किया है। स्वयं परिवादी ने अभियुक्तगण द्वारा उसे जातिसूचक गाली–गलौंच नहीं करना बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा आहत कपिल को अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना जानते हुए जाति के आधार पर उसके साथ मारपीट की हो। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

11– प्रकरण में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसमें पी.ड. 01 कपिल जो स्वयं प्रकरण में आहत है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि आज से करीब 3–4 साल पहले शाम को वह उसकी मोटरसाईकिल से ईदगाह रोड़ पर पेट्रोल भरवाने के लिए गया था। उसकी मोटरसाईकिल पर संदीप और मयंक भी बैठे हुए थे। पेट्रोल भरवा कर जैसे ही हम वापिस आये तो अदालत के सामने पहुंचे तो उसे सन्नी और उसके साथी, मिले जिन्होंने उसकी मोटरसाईकिल रोक ली और उसके साथ धक्का–मुक्की की, जिससे वह मोटरसाईकिल से नीचे गिर पड़ा और उसके चोटें आयी। **उसके साथ सन्नी और उसके साथियों ने कोई मारपीट नहीं की, न ही उसे कोई जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया।**

उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर पुलिस बयान प्रदर्श पी.01 का ए से बी भाग गलत होना बताया है।

12– पी.ड. 02 मयंक जो प्रकरण में परिवादी/घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि वह, संदीप और कपिल तीनों पेट्रोल भरवाने के लिए पम्प पर गये थे। **जहां पर हमें सन्नी व उसके साथी मिले, जिनके नाम पता उसे मालूम नहीं हैं।** किसी बात को लेकर हमारी इनसे कहासुनी हो गयी थी, जिसमें हमारे धक्का–मुक्की हुई थी और कपिल के चोट आयी थी। **मुल्जिमान ने हमारे साथ कोई मारपीट नहीं की थी।** उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.03 का सी से डी भाग एवं पुलिस बयान प्रदर्श पी.07 का ए से बी भाग गलत होना बताया है।

13– पी.ड. 03 निखिल ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.05 पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी.05 उसके सामने नहीं बनाने का कथन किया है। उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है।

14– पी.ड. 04 संदीप जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि वह, मयंक और कपिल तीनों बाईक से बाजार गये थे। पेट्रोल पम्प पर सन्नी और उसके दो दोस्त और थे, जिनके नाम पता उसे पता नहीं है, हमें मिले जिनकी सन्नी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी। **कपिल और मयंक के साथ सन्नी वगैरह ने उसके सामने कोई मारपीट नहीं की थी और न ही उन्हें किसी जातिसूचक शब्द से अपमानित किया।**

15– पी.ड. 05 नरेन्द्र कुमार रेडियोग्राफर ने डॉ. मुकुटबिहारी मालव के निर्देशन पर कपिल के सिर की चोटों के एक्सरे करना एवं एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी.09 तथा एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी. 10 व 11 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

16– पी.ड. 06 ओमेन्द्र प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, जिसने दौराने अनुसंधान अभियुक्तगण को जर्ये फर्द प्रदर्श पी.12 लगायत 14 गिरफ्तार करना, अभियुक्त सन्नी सहरिया की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के अनुसार एक स्टील का कड़ा जर्ये फर्द प्रदर्श पी.16 जब्त करना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि जप्तशुदा स्टील का कड़ा आज उसके सामने नहीं है।

17– पी.ड. 07 डॉ. मुकुटबिहारी ने आहत कपिल की चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.18 बनाना और उसमें अंकित चोट संख्या 01 व 02 साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होना बताया है।

18– साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के पश्चात हमारा पृथक–पृथक विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार हैः–

विचारणीय बिन्दु संख्या (i)–

19– साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात हमें एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना है। जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 308/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का भार है कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत कपिल के साथ मारपीट कर उसके मार्मिक अंग सिर में इस आशय, ज्ञान व परिस्थितियों में चोट कारित की कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस संबंध में परिवादी मयंक द्वारा जो लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.03 प्रस्तुत की गयी है, उसमें सन्नी द्वारा कपिल की गिरेबान पकड़ कर पंच से सिर व आंख में मारना एवं बाद में पुनः पकड़ कर पंच से हाथ आदि पर वार करना और उसके साथियों द्वारा भी मारपीट करना, किंतु उनके नाम नहीं जानना बताया है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट में परिवादी द्वारा केवल अभियुक्त सन्नी का ही नाम जानना और शेष अभियुक्तगण का नाम नहीं जानने का तथ्य अंकित करवाया है।

20– इस संबंध में घटना का आहत कपिल पी.ड. 01 के रूप में साक्ष्य में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि पेट्रोल भरवा कर जैसे ही हम वापिस आये तो अदालत के सामने पहुंचे तो उसे सन्नी और उसके साथी मिले, जिन्होंने उसी मोटरसाईकिल रोक ली और उसके साथ धक्का–मुक्की की, जिससे वह मोटरसाईकिल से नीचे गिर गया और उसके चोटें आयी। उसके साथ सन्नी और उसके साथियों ने कोई मारपीट नहीं की, न ही उसे कोई जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। इस प्रकार उक्त गवाह जो स्वयं आहत है, स्वयं के मोटरसाईकिल से गिरने से चोटें आना बता रहा है और अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट नहीं करने का स्पष्ट कथन कर रहा है, जिससे तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.03 में अंकित तथ्यों की पुष्टि नहीं हो रही है।

21– पी.ड. 02 मयंक जो प्रकरण में परिवादी है, ने भी अपने बयानों में मुल्जिमान से कहासुनी एवं धक्का–मुक्की होने और कपिल के चोट आने का कथन किया है तथा मुल्जिमान द्वारा उनके साथ कोई मारपीट नहीं करना बताया है। घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.ड. 04 संदीप ने भी कपिल और मयंक के साथ स्वयं के सामने कोई मारपीट नहीं करने का कथन किया है। इस प्रकार परिवादी पी.ड. 02 मयंक तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.ड. 04 संदीप के कथनों से रिपोर्ट प्रदर्श पी.03 में अंकित तथ्यों की पुष्टि नहीं हो रही है। पी.ड. 02 मयंक ने विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर तहरीरी रिपोर्ट के सी से डी भाग को गलत होना भी बताया है।

22– इसके अलावा परिवादी पी.ड. 02 मयंक ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.03 एवं बयानों में अभियुक्त सन्नी के साथियों का नाम पता मालूम नहीं होना बताया है। पी.ड.04 संदीप व आहत पी.ड. 01 कपिल ने अपने बयानों में केवल अभियुक्त सन्नी का ही नाम लिया

है। यहां पर यह उल्लेखनीय तथ्य है कि घटना रात्रि के लगभग 09.30 बजे की होना बतायी है तथा आहत व अन्य गवाहों ने सन्नी के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण का नाम पता मालूम नहीं होने का कथन किया है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण में अनुसंधान के दौरान अभियुक्तगण की शिनाख्तगी कार्यवाही करवाया जाना आवश्यक था, किंतु ऐसी कोई शिनाख्तगी कार्यवाही करवाया जाना प्रकट नहीं हो रहा है।

23– यहां पर यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि मेडीकल ज्यूरिष्ट पी.ड. 07 डॉ. मुकुटबिहारी मालव ने आहत कपिल के केवल दो चोटें कारित होना बताया है जो दोनों साधारण प्रकृति की हैं। आहत के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.18 में उल्लेखित चोट संख्या 01 सिर पर कारित की गयी है तथा चोट संख्या 02 सूजन एवं दर्द है। इस प्रकार आहत के मार्मिक अंग पर बार–बार वार किया जाना या गंभीर प्रकृति की चोट कारित किया जाना प्रकट नहीं हो रहा है, बल्कि स्वयं आहत पी.ड. 01 कपिल मोटरसाईकिल से गिरने से चोटें आने का कथन कर रहा है। ऊपर किये गये विवेचन के अनुसार प्रकरण में अभियुक्तगण की शिनाख्तगी कार्यवाही भी नहीं करवायी गयी है तथा स्वयं आहत ने अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट नहीं करने का कथन किया है तो यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा ही सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत कपिल का आपराधिक मानव वध कारित करने के आशय से उसके साथ मारपीट कर चोटे पहुंचायी हों।

24– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार जहां स्वयं आहत कपिल ने अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट नहीं करना बताया है और स्वयं के मोटरसाईकिल से गिरने–पड़ने से ही चोटें आना बताया है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.ड. 02 मयंक व पी.ड. 04 संदीप ने अभियुक्तगण द्वारा आहत कपिल के साथ मारपीट किये जाने के तथ्य से इंकार किया है तो यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत कपिल के साथ इस आशय, ज्ञान व परस्थितियों में मारपीट कर चोट कारित की हों कि आहत की मृत्यु कारित की जा सके। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 308/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (ii)–</u>

25– जहां तक अभियुक्त दिनेश के विरुद्ध **धारा 3(1)(r), 3(1)(s) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्त द्वारा आहत कपिल को अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य के रूप में अपमानित करने के उद्देश्य से लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त किया एवं जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित कर गाली–गलौंच की। इस संबंध में परिवादी मयंक ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.03 में अभियुक्त

द्वारा आहत कपिल को जातिसूचक धोबड़े शब्द का प्रयोग करते हुए अपमानित करना बताया है, किंतु उक्त परिवादी पी.ड. 02 मयंक ने न्यायालय में परीक्षित होने पर अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की गाली–गलौंच करने अथवा जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का कोई कथन नहीं किया है। स्वयं आहत कपिल पी.ड. 01 ने अपने बयानों में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसके साथ सन्नी और उसके साथियों ने कोई मारपीट नहीं की, न ही उसे कोई जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.ड. 04 संदीप ने भी अभियुक्तगण द्वारा स्वयं के सामने कपिल और मयंक को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के तथ्य से स्पष्टतः इंकार किया है। इस प्रकार प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयानों से भी अभियुक्त द्वारा आहत कपिल को गाली–गलौंच कर अपमानित या अभित्रस्त करना अथवा जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित करना प्रकट नहीं हो रहा है।

26– अतः उक्त विवेचन के अनुसार जहां स्वयं आहत कपिल अपने बयानों में अभियुक्त द्वारा उसे जातिसूचक गालियों से सम्बोधित करने के तथ्य से इंकार कर रहा है तथा परिवादी पी.ड. 02 मयंक ने भी अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा उन्हें किसी प्रकार की गाली–गलौंच अथवा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का कथन नहीं किया है तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.ड. 04 संदीप ने भी अभियुक्तगण द्वारा परिवादी व आहत के साथ जातिसूचक गाली–गलौंच करने के तथ्य से इंकार किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अन्य कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी परीक्षित नहीं हुआ है। इस प्रकार स्वतंत्र गवाहों के कथनों से भी अभियुक्त द्वारा गाली–गलौंच कर परिवादी को अपमानित करने के तथ्य की पुष्टि नहीं हो रही है तो यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर गाली–गलौंच कर अपमानित या अभित्रस्त किया हो एवं जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित करके अपमानित किया गया हो। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त दिनेश के विरुद्ध धारा 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (iii)–</u>

27– जहां तक अभियुक्त दिनेश के विरुद्ध धारा **3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का आरोप है। इस संबंध में यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा आहत को अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना जानते हुए उसके साथ अनुसूची में विनिर्दिष्ट धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कारित किया हो। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है तथा ऊपर किये गये विवेचन के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है। स्वयं आहत पी.ड. 01 कपिल

ने अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट किये जाने के तथ्य से भी इंकार किया है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.ड. 02 मयंक व पी.ड. 04 संदीप ने भी अभियुक्तगण द्वारा आहत कपिल के साथ मारपीट नहीं करना बताया है। धारा **3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का अपराध एक सापेक्षिक अपराध है। जहां अभियुक्त को अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित मूल अपराध धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के लिए दोषी नहीं माना गया है तो अभियुक्त को धारा **3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त दिनेश के विरुद्ध धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

28– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु (i), (ii) व (iii) को अपने पक्ष में सिद्ध करनें में असफल रहा है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार अभियुक्तगण **सन्नी व विक्रम** को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 308/34 भारतीय दण्ड संहिता** तथा अभियुक्त **दिनेश** को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 308/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

29– अतः अभियुक्त क्रम–**1.सन्नी सहरिया पुत्र हरिओम, उम्र–25 साल, निवासी–इन्द्रा कॉलोनी छबड़ा, थाना–छबड़ा, जिला–बारां (राज.) 2. विक्रम मेहतर पुत्र सत्यनारायण, उम्र–25 साल, निवासी–जोशी कॉलोनी छबड़ा, थाना–छबड़ा, जिला–बारां (राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **308/34 भारतीय दण्ड संहिता तथा** अभियुक्त क्रम–3. **दिनेश पुत्र हेमराज, उम्र–24 साल, निवासी–खेड़ली गुगौर, थाना–छबड़ा हाल एजाज नगर छबड़ा, थाना–छबड़ा, जिला–बारां (राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **308/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है।

30– प्रकरण में आहत व अभियुक्तगण के मध्य दिनांक 17.05.2024 को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा हो जाने से

उन्हें बरूए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण के उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके अविलम्ब निरस्त करने के आदेश दिये जाते है।

31– हस्तगत प्रकरण में चूंकि अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध साबित नहीं हुआ है। अतः हस्तगत प्रकरण में परिवादी को धारा 357 ए दं0 प्र 0 सं0 के तहत किसी प्रकार की पीड़ित प्रतिकर राशि दिलवाये जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

32– इस प्रकरण में जब्तशुदा माल यदि कोई हो तो बाद गुजरने मियाद अपील विधि अनुसार नष्ट किया जावें और अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार माल का निस्तारण किया जाए।

33– अभियुक्तगण की ओर से धारा 437 ए सीआरपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत मुचलकें निर्णय की दिनांक से छः माह तक प्रवृत्त बने रहेंगे।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला–बारां (राज0)

34– निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला–बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.04.23 16:38:21 IST